संख्या-93 /2023 /001-2433-24-1-2023-3451-2009

प्रेषक,

प्रभंजन यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 27 सितंबर, 2023

विषय:- उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 को पनकी 1×660 मेगावाट इकाई की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के पत्र संख्या-32/उ0नि0लि0/नि0 (वित्त), दिनांक 15 सितम्बर, 2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में पनकी 1×660 मेगावाट विस्तार तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु लेखाशीर्ष 4801-02-190-14-1422-30 में प्राविधानित धनराशि रूपये 250,50,00,000/- (रूपये दो सौ पचास करोड़ पचास लाख मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 100,50,00,000/- (रूपये एक सौ करोड़ पचास लाख मात्र) वास्तविक आवश्यकतानुसार माह सितम्बर, 2023 में पूंजीगत परिव्यय पर व्यय में अभिवृद्धि किये जाने हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 08-09-2023 के क्रम में अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते है।

**नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों**

(1) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता होने पर किया जायेगा तथा आवश्यकता के दृष्टिगत तिथि की सूचना तत्काल ऊर्जा अनुभाग-1 को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि आहरित कर अनावश्यक रूप से बैंक में नहीं रखी जायेगी तथा इकाई की स्थापना से पूर्व सभी क्लियरेन्स नियमानुसार प्राप्त कर लिया जाय।

(2) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि उसी मद में व्यय की जायेगी, जिस परियोजना की स्थापना हेतु स्वीकृत की गयी है।

(3) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाया जायेगा तथा तत्संबंधी बिल ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को प्रतिहस्ताक्षर हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखा शीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज और ऊर्जा विभाग तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

(5) इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) पूर्व में आहहिरत की गई धनराशि एवं वर्तमान में अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपभोग कर उपभोग सम्बन्धी उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,00,50,00,000 ( रुपये एक अरब पचास लाख मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 009 **लेखा शीर्षक** 4801021901422 1x660 मे0वा0 पनकी तापीय विस्तार परियोजना हेतु अंशपूंजी **मानक मद** 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-105-X-2023-24-दिनांक:27-9-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

प्रभंजन यादव
अनु सचिव।

**संख्या- 93/2023/001-2433(1)-24-1-2023-3451-2009, तद् दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम/(लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001
2- प्रधान महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)-प्रथम, 15 ए, दयानन्द मार्ग, सिविल लाइन, प्रयागराज-211001
3- कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा-।।), उ0प्र0, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (वयय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1
6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

प्रभंजन यादव
अनु सचिव।